सं0सं09/आ0–2–53/2012

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

सिविल सर्जन, गया के ज्ञापांक–2853 दिनांक 07.08.06 द्वारा डा0 उदय कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0स्वा0केन्द्र, नीमचक, बथानी, गया के विरूद्ध अनुपस्थित रहने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

2. उपर्युक्त आरोपों के लिए डा0 उदय कुमार के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0–745(9) दिनांक 30.06.2010 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई । संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम मे आरोप प्रमाणित पाया गया।

3. अधिगम की प्रति प्रेषित करते हुए डा0 उदय कुमार से विभागीय पत्रांक–163(9) दिनांक 11.02.13, पत्रांक–1026(9) दिनांक 06.08.2013 एवं पत्रांक–226(9) दिनांक 18.03.2015 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई। जिसका प्रत्युत्तर डा0 उदय कुमार द्वारा निर्धारित समय सीमा बीत जाने के उपरांत भी समर्पित नहीं किया गया। तदालोक में विभागीय स्तर पर सम्यक समीक्षोपरांत डा0 उदय कुमार को 05 वर्षो से अधिक अवधि तक लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया तथा इस पर बिहार लोक सेवा आयोग बिहार, पटना की सहमति प्राप्त की गई।

4. अतः डा0 उदय कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0स्वा0केन्द्र, नीमचक बथानी, गया को दिनांक 17.06.2003 से लगातार पॉच वर्षो से अधिक अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम–76 के तहत सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश :– संकल्प की प्रति डा० उदय कुमार एवं सभी संबंधितों को निबंधित डाक से भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः 1014 (9) /स्वा0, पटना , दिनांकः 03/10/2016

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार पटना/अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी गया/क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य मगध प्रमंडल गया/सिविल सर्जन गया/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– डा0 उदय कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0स्वा0केन्द्र, नीमचक, बथानी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव बिहार लोक सेवा आयोग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 2,3,5,7,8,10,11,12,17 एवं 18 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– आई0 टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

30.9.16

सरकार के अवर सचिव

D:\Sweta\Section-9-01-11-12\SWETA SHARMA 2016\Sankalp 2016.docx